::सार्वजनिक सूचना::

जनपद टिहरी गढ़वाल के विभिन्न शासकीय विभागों में उनकी आवश्यकतानुसार हल्के वाहन यथा बुलेरो,ईनोवा, इण्डिका,जीप,एम्बेसडर, आदि वाहनों को किराये पर लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए किराये पर लेने हेतु दिनांक 18.3.2020 तक सार्वजनिक सीलबन्द टेण्डर आमंत्रित किया जाते है। इच्छुक वाहन स्वामी/सप्लायर/व्यक्ति/संस्था/ट्रान्सपोर्ट किसी भी कार्य दिवस में जिला कार्यालय में आकर वाहनों के किराये पर लगाये जाने की अन्य शर्तो यथा आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि, सिक्योरिटी राशि कार्य अवधि आदि से संबंधित समस्त विस्तृत जानकारियों व आवेदन आदि प्राप्त कर उसे जमा करने की कार्यवाही कार्यालय में आकर पूर्ण कर सकते है। निर्धारित तिथि तक प्राप्त निविदा को इस निमित्त समिति द्वारा खोला जायेगा। कोटेशन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी का होगा।

दिनांक–18.2.2020

ह0/–
(डा0वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 388/34–परिवहन/2017–2018, दिनांक ,नई टिहरी, 28 फरवरी 2020

प्रतिलिपिः–निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन न्यूनतम स्पेश में सूचना विभाग की दरों पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नई टिहरी टिहरी गढ़वाल को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को एन0आई0सी0 की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3– कार्यालय प्रति।

(NIC)

28/02/2020

प्रभारी अधिकारी
कृते–जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या–५२५ / 34–परिवहन / 2017–2018, दिनांक नई टिहरी,२० फरवरी ,2020

निविदा सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–3805 / प्रवर्तन / दो–48 / 2013 दिनांक 01 अगस्त 2013 के अनुपालन में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में शासकीय वाहनो के अभाव / निष्प्रयोज्य होनें के फलस्वरूप नया शासकीय वाहन शासकीय हित में आउटसोर्स के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए प्राईवेट वाहन (यथा–बुलेरो, ईनोवा, मैक्श,ऐम्बेसडर कार, अथवा अन्य छोटी 05 सीटर कार) आदि लगानें हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसकी निम्नवत शर्ते होंगी।

01 प्रत्येक फर्म / ब्यक्ति / ऐजेन्सी को उपरोक्त वाहन में जिस वाहन की आपूर्ति कार्यालय में करना चाहते है उसका नाम माडल आदि का विवरण व किराये की दर भी प्रस्तुत करनी आवश्यक होगा।

02. निविदादाता फर्म जिस प्रकार की भी हो उसको अपना सम्पूर्ण विवरण ब्यक्तिगत अथवाफर्म जिस प्रकार का भी हो उसे वाहन का रजिस्ट्रेशन / जीएसटी नम्बर पैन,नम्बर आदि यदि हो का सम्पूर्ण विवरण अंकित करना होगा।

03. आपूर्तकर्ता को शासकीय अवकाशों में भी जिस अधिकारी के साथ वाहन लगाया जायेगा उसके आदेश / निर्देशों का अक्षरशःअनुपालन करना होगा व बिलम्ब पर अनुपस्थिति की तिथि पर प्रत्येक तिथि का अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा तथा यात्रा के दौरान वाहन खराब होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी।

04. निविदादाता को डीजल / पेट्रोल, अधिकतम दर, जीएसटी, अन्य कर बगैर फयूल,चालक सहित जिले के अन्दर एवम जिले के बाहर के साथ ही सम्पूर्ण माह तथा दैनिक की समस्त दरों का विवरण अलग–अलग अंकन करना होगा।

05. आपूर्तकर्ता का वाहन चालक कार्यालय समय के पश्चात किसी अन्य कार्य के करनें में किसी प्रकार की शिकायत पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा व शिकायत पर तत्काल चालक बदलना होगा।

06. आउटसोर्स वाहन जिस अधिकारी के निवर्तन में होगा उसके आदेशों का अनुपालन एवं वाहन चालक द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता अथवा वाहन की खराब होनें की स्थिति में दूसरा वाहन आपूर्त करना होगा, वैकल्पिक / दूसरा वाहन तथा चालक तत्काल उपलब्ध न करने की दशा में अर्थदण्ड जो 1500 / –रूपये प्रति दिन होगा।

07. चालक / आपूर्तकर्ता द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही पर एग्रीमेंट समाप्त किया जायेगा जिसका कोई भी प्रतिफल नही दिया जायेगा व अनुबन्ध के साथ ही धरोहर धनराशि एक माह की 10,000.00 रू0 अग्रिम जमा करनी होगी।

08. संबंधित विभाग के अधिकारी, जिनके द्वारा वाहन किया पर लिया गया है, द्वारा वाहन के किसी ऐसे चालक, जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक / स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।

09. आपूर्तकर्ता को अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रपत्र व मेक मॉडल इन्श्योरेश, प्रदूषण आदि के विवरण की प्रतियॉं कार्यालय में हार्डप्रति प्रति के रूप में लिफाफे में बन्द कर अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी जो निविदा का पार्ट मानी जायेगी।

10. ठेकेदार के बीजक से नियमानुसार लागू टैक्स की यदि कोई कटौती बनती होगी तो वह की जायेगी।

11. आपूर्तकर्ता फर्म को आपूर्त किये गये चालक के चरित्र सत्यापन आदि स्वंय करना होगा एवं किसी क्षति पर आपूर्तकर्ता ईकाई ही जिम्मेदार नहीं होगी व आदेश के तत्काल पश्चात वाहन की आपूर्ति करनी होगी।

12. निविदा शेडयूल में वाहनों की संख्या घटाई व बढाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा व किसी भी प्रकार कोई जानकारी संबंधित कार्यालय में आकर ली जा सकती है अथवा प्रि बिड मीटिंग में अपनी बात रखी जा सकती है।

13– अपूर्ति किये गये वाहन की समय–समय सर्विसिंग आपूर्तकर्ता के द्वारा की जायेगी,तथा इस अवधि में दूसरा वाहन उस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा, जिसके अधीन वाहन लगाया गया है, अन्यथा अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

14– वाहन के समस्त प्रकार के टैक्स,बीमा आदि प्रदूषण तथा पार्किंग आदि अध्यावधिक आपूर्तकर्ता द्वारा रखी जायेगी एवं टोल टैक्स आदि भी आपूर्तकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

15– वाहन 24x7 अवधि के लिए उपलब्ध कराना होगा।

16– वाहन चालक की शिकायत होने पर अथवा वाहन चालक द्वारा सही कार्य न किये जाने पर तत्काल दूसरा वाहन चालक को उपलब्ध कराना होगा, ऐसा न करने पर अर्थदण्ड जो रूपये–1500/– प्रतिदिन होगा, आरोपित किया जायेगा।

17– वाहन के दरे वाहन चालक ईधन सहित एवं ईधन रहित दी जायेगी।ईधन की दरों का भुगतान परिवहन आयुक्त के पत्र दिनांक 01 अगस्त 2013 के अनुसार कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

18– निविदाताओं को रूपये–100/– के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र जो नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया हो, को इस आशय से प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता का किसी कार्यालय/संस्था/संगठन/फर्म में काली सूची में नाम अंकित नहीं है।

19– निविदा की निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

20– निविदा स्वीकृत होने की दशा में संबंधित की यह जिम्मेदारी होगी कि वह जो भी वाहन चालक इस कार्य हेतु उपलब्ध कराएगे वह वाहन चलाने की दृष्टि से हृष्ट–पुष्ट एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। वाहन चालक का आचरण यात्रा पर्यन्त मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है।

21– निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित व्यक्ति को अतिविशिष्ट/विशिष्ट अतिथियों के जनपद आगमन पर प्रभारी अधिकारी(प्रोटोकाल)/वी0आई0पी0 कक्ष जिला कार्यालय नई टिहरी टि0ग0 द्वारा मांग किये जाने पर आवश्यकतानुसार वाहनों की आपूर्ति अल्प/दीर्घ समय पर अनिवार्यतः करनी होगी अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा,साथ ही धरोहर धनराशि को भी वापस नहीं किया जायेगा।

22– आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन जो 03 वर्ष से 05 वर्ष की अवधि तक की अधिक पुरानी वाहन की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

23– आपूर्ति की जाने वाली वाहन उचित गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर, तौलिया, पढने के लिए बिजली, फुटमैट आदि उत्कृष्ट क्वालिटी की होनी आवश्यक है।

24– वाहन के टायर,बैट्री हैडलाईट बीम,बैक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।

25– वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस,बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक/स्टाफ की

वर्दी(सफेद सफारी सूट, पी कैप) चालक लाईसेन्स आदि पर व्यय सभी प्रकार के संबंधित व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जायेगे।

26— आपूर्ति की जानी वाहन मोटरयान अधिनियम—1988 के अन्तर्गत ऑल इण्डिया परमिट से आच्छादित होनी चाहिए। किसी भी निजी वाहन (Non Transport Vehicle) की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

27— आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे चालक जो नशे के सेवन का आदी हो, को वाहन पर सेवायोजित नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार ऐसे चालक जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा पुलिस वाद/मोटर वाहन अधिनियम आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में सेवायोजित नहीं किया जायेगा। संबंधित विभाग द्वारा किसी चालक के संबध में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की अपेक्षा की जा सकती है।

28— संबंधित विभाग मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन संबंधित आपूर्तकर्ता द्वारा किया जायेगा।

29— आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईधन, मरम्मत अथवा वाहन संबंधित अन्य व्यय किया जा सके।

30— मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है, तो संबंधित विभाग आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।

31— आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विशिष्ट अतिथियों के निवास/कार्यालय/कॉलोनी से संबंधित उत्तराखण्ड सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

32— आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिध द्वारा संबंधित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से सम्पर्क रखा जाएगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

33— वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।

34— आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नठेके पर नहीं दिया जाएगा।

35— उपरोक्तानुसार ईधन की आपूर्ति दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु संबंधित आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप में लॉगबुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित करना होगा।

36— वाहन में लॉगबुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।

37— वाहन में नियमानुसार स्टपनी,टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वंय के व्यय पर रखना आवश्यक है।

38— सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण निम्नलिखित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए दर पंजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा—

(एक) यदि आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

(दो) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं है।

39— **कर एवं अन्य देयको का भुगतान**

(एक) सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी।

(दो) अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा, और उसकी पूतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर संबंधित विभाग द्वारा की जायेगा।

40– आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्य के संबंध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा–श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम पीएफ0ईएसआई, मोटरयान अधिनियम आदि में विहीत व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जायगा। (जहॉ लागू हो)

41– जनपद में सभी स्थानों पर एक ही दर से वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

42– उत्तराखण्ड से बाहर वाहन के रात्रि विश्राम करने की स्थिति में रूपये 200.00 प्रति रात्रि की दर से रात्रि चार्जेज का भुगतान पृथक से किया जायेगा।

43– जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद के परिवहन कार्यालय में पंजीकृत वाहन स्वामी/आपूर्तकर्ता ही इस निविदा में प्रतिभाग कर सकते है।

44– निविदा को बिना कारण बताए निरस्त/आंशिक संशोधन करने का अधिकार जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पास निहित होगा।

(डा0वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त कार्यालयाध्यक्ष जनपद टिहरी गढ़वाल।
2– नोटिस बोर्ड जिला कार्यालय/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार कार्यालय नोटिस बोर्ड।
3– समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत जनपद टिहरी गढ़वाल।
4– समस्त खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय जनपद टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढवाल।

भाग–2 वित्तीय निविदा

क्र. सं.	सामग्री का नाम/ विवरण	अधिकतम मासिक दर चालक सहित	अधिकतम दैनिक दर चालक सहित	जीएसटी (रू0 में)
2	ईनोवा/ जायलो,			
3	बुलेरो, मैक्श,			
5	मैक्श/टाटा सोमो			
6	ऐम्बेसेडर कार/जीप			
7	जीप			
8	स्विफट			
9	अल्टो			
10	इण्डिगो			

टिप्णीः–उक्त दरें फ्यूल रहित है। फ्यूल ईधन का भुगतान माईलेज क आधार पर निर्धारित दरों के अनुरूप विभाग द्वारा अलग से किया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।